The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 2 | February 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

वैवाहिक बलात्कार का निरीक्षण: एक भारतीय समाज में सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण

विवेक कुमार
रिसर्च स्कॉलर, विधि एवं शासन प्रणाली विभाग
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया
vk694587@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted on: 21-02-2025

Published on: 14-03-2025

Keywords:

वैवाहिक बलात्कार, सहमति, बल, आईपीसी 375, भारतीय न्याय संहिता 2023

ABSTRACT

भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे जघन्य अपराधों में से एक है वैवाहिक बलात्कार। पत्नी का बलात्कार, बलात्कार से कम गंभीर नहीं है; बल्कि यह बलात्कार का ही एक रूप है। वैवाहिक बलात्कार आमतौर पर विवाहित महिलाओं को प्रभावित करता है। यह भारत के लैंगिक न्याय के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह कोई ताज़ा समस्या नहीं है बल्कि समाज में बदलाव के साथ एक समस्या के रूप में सामने आई है। यह एक ऐसा अपराध है जो महिलाओं के साथ-साथ आधुनिक समाज को अस्वीकार है। भारतीय समाज ने वैवाहिक बलात्कार को कभी भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा है। कई कारणों से भारतीय संस्कृति में इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो भारतीय संसद का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। हाल के दिनों में भारतीय न्यायपालिका ने वैवाहिक बलात्कार के रूप में महिलाओं की शारीरिक और मानसिक पीड़ा पर ध्यान दिया है। भारत में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ प्रभावी कानूनों का अभाव है। भारत में जो भी नियम हैं, वे वैवाहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वैवाहिक बलात्कार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लागू करने होंगे।

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15030101

1. परिचय:

आदिकाल से ही भारत ने अनेक सामाजिक बुराइयों का अनुभव किया है। इन सामाजिक समस्याओं में से कुछ हैं- सती प्रथा, बाल विवाह, जबरन विवाह, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि। जबकि इनमें से कई सामाजिक कुरीतियाँ समय के साथ भारत से गायब हो गई हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं और देश के लिए समस्याएँ पैदा कर रही हैं। हमारे समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण वैवाहिक बलात्कार एक समस्या रही है। यह उन कठिन सामाजिक बुराइयों में से एक है, जो समय बीतने

के बावजूद, भारत के परिदृश्य से गायब नहीं हुई है और अभी भी वहां एक व्यापक घटना है। हालाँकि, वैवाहिक बलात्कार को अतीत की बात बनाने में विधायिका की कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय न्यायपालिका ने बहुत लंबे समय तक इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जब तक कि 2015 में मामला दर्ज नहीं किया गया। भारत में जो भी नियम हैं, वे वैवाहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए संतोषजनक नहीं हैं, जो न केवल महिला के शरीर के खिलाफ अपराध है, बल्कि उसकी अखंडता के खिलाफ भी है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए।

भारत में, महिलाएं अक्सर विभिन्न प्रकार की हिंसा का अनुभव करती हैं, जिनमें से कुछ रूप उनके अपने घरों से उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) रिपोर्ट[1] के मुख्य निष्कर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 33 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को जीवनसाथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सात प्रतिशत को अपने जीवनसाथी से यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हालाँकि विवाहित महिलाएँ अपने विवाह में यौन हिंसा का सामना कर रही हैं, लेकिन कानून ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना है।

2. सामान्य शब्दावली

2.1 रेप/बलात्कार

"रेप" शब्द "रेपियो" शब्द से बना है जिसका अर्थ है "जब्त करना"। इस प्रकार बलात्कार का शाब्दिक अर्थ है जबरन कब्ज़ा करना। सामान्य शब्दावली में इसका अर्थ है, "किसी महिला की सहमति के बिना, बलपूर्वक, भय या धोखाधड़ी से उसका बलात्कार करना" या "किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना"। दूसरे शब्दों में बलात्कार एक महिला के निजी व्यक्ति की हिंसा और हर तरह से आक्रोश का उल्लंघन है[2]

2.2 वैवाहिक बलात्कार

बलात्कार को महिलाओं के खिलाफ सबसे गंभीर प्रकार की यौन हिंसा के रूप में समझा जाना चाहिए, जो यौन हिंसा की निरंतरता में होने वाली एक चरम अभिव्यक्ति है जो महिलाओं के मानवाधिकारों को पूरी तरह से नकार देती है। बलात्कार लैंगिक मूल्यों और मान्यताओं से उपजा है और यह केवल एक महिला को प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है जो सीधे तौर पर पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति के असंतुलन से जुड़ा है। बलात्कार आक्रामकता और हिंसा का एक कृत्य है जिसमें पीड़िता को उसके आत्मनिर्णय से वंचित कर दिया जाता है।

बलात्कार की परिभाषा, जैसा कि अधिकांश कानूनी प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पितृसत्तात्मक मूल्य प्रणाली के मापदंडों से आगे नहीं जाती है, शुद्धता, कौमार्य, वैवाहिक संबंधों की पुरानी धारणाओं को दर्शाती है और महिला कामुकता के डर पर

[1] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, (2015)।

[2] फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 1980 सुप्रीम कोर्ट 249

जोर देती है। अधिकांश देशों में बलात्कार की कानूनी परिभाषा गैर-सहमति या जबरन योनि प्रवेश तक सीमित है और पुरुषों के एक विशेष वर्ग - पतियों को छूट देती है, जिन पर अपनी पत्नियों के बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

वैवाहिक बलात्कार को किसी भी अवांछित यौन संबंध या प्रवेश (योनि, गुदा या मौखिक) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बलपूर्वक, बल की धमकी से या जब पत्नी सहमति नहीं देती है। बलात्कार की संकीर्ण और प्रतिबंधित परिभाषा का एक बहुत ही अजीब निहितार्थ यह है कि यह महिलाओं के एक विशेष समूह के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, एक विवाहित महिला का उसके अपने पति द्वारा बलात्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इस खामी का निहितार्थ यह है कि हिंसक और अवांछित सेक्स आवश्यक रूप से बलात्कार को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह अवैध सेक्स है, यानी, एक ऐसे पुरुष द्वारा यौन हमला, जिसका महिला पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है।[3] दूसरे शब्दों में, कानून की नज़र में, कानूनी संभोग में हिंसा की अनुमति है, लेकिन किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना, जो किसी की संपत्ति नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

3. वैवाहिक बलात्कार की उत्पत्ति:

वैवाहिक बलात्कार का इतिहास अन्य सामाजिक त्रासदियों से अलग नहीं है। विवाह बलात्कार कोई नई या समसामयिक घटना नहीं है। इसकी उत्पत्ति का पता प्राचीन भारत से लगाया जा सकता है।

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, इस तथ्य के बावजूद कि भारत में इसके आगमन की सटीक तारीख अज्ञात है। उस अवधि के दौरान महिलाओं को आम तौर पर इंसान के रूप में नहीं देखा जाता था; इसके बजाय, उन्हें पिता की और शादी के बाद पति की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। उनके पास स्वायत्तता का अभाव था और कोई अधिकार नहीं थे। भारत में वैवाहिक बलात्कार का अत्याचार इसी गलत मानसिकता के कारण पैदा हुआ है। पिछले दिनों वैवाहिक बलात्कार के कई मामले सामने आए हैं। महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार थे, और जो कुछ थे उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी क्योंकि उस समय उनकी सुरक्षा के लिए भारत में कोई प्रभावी कानून नहीं थे। महिलाओं के पास भी अपने पतियों की इच्छाओं के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, क्योंकि वे पूरी तरह से उन पर निर्भर थीं। भारत में वैवाहिक बलात्कार के बढ़ने में इन सभी तत्वों की भी भूमिका थी। इसलिए, वैवाहिक बलात्कार के पाप का एक बहुत लंबा इतिहास है जो प्राचीन और आधुनिक भारत दोनों तक फैला हुआ है।

[3] एन वोल्बर्ट बर्गेस और लिंडा लिटल होल्मस्ट्रॉम, रेप विक्टिम्स ऑफ क्राइसिस, 197 (1974) डायने हरमन, "द रेप कल्चर" इन वीमेन ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, संस्करण में उद्धृत। जो फ्रीमैन द्वारा, तीसरा संस्करण, 20 (1984)

3.1 वर्तमान समय में भारत में वैवाहिक बलात्कार और उसकी कानूनी स्थिति:-

यह कोई आपराधिक अपराध नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद यानी अपवाद 2 के तहत किया गया है।[4]

3.2 इस 'अपवाद' का क्या मतलब है?

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 का अपवाद 2 - वह धारा जो परिभाषित करती है कि बलात्कार का अपराध क्या है - कहता है:

"किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है।"

4. वैवाहिक बलात्कार के संबंध में समय रेखा

आजादी से पहले से अब तक भारत में बलात्कार कानूनों में कई बदलाव हुए हैं। लेकिन वैवाहिक बलात्कार का अपवाद हमेशा बना रहा है।

यह अपवाद 1860 में अपनी स्थापना के बाद से आईपीसी का हिस्सा रहा है, जिसे लॉर्ड मैकाले ने 1839 में आपराधिक कानून के अपने मूल मसौदे में एक पति के "दाम्पत्य अधिकारों" की रक्षा के लिए आवश्यक अपवाद के रूप में उचित ठहराया था।

4.1 भारत का विधि आयोग[5]

2000 में भारत के विधि आयोग ने यौन हिंसा पर भारत के कानूनों में सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार करते हुए, वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की किसी भी आवश्यकता को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए, "हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस अपवाद को हटाने की सिफारिश की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है यह वैवाहिक रिश्ते में अत्यधिक हस्तक्षेप है।"

4.2 न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति[6]

[4] भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1जुलाई 2024 से लागू है।
और इस संहिता के धारा 63 रेप को परिभाषित करता है।

[5] सोलहवां विधि आयोग (अध्यक्ष न्यायाधीश श्री बी.पी. जीवन रेड्डी 2000-2001) (अध्यक्ष न्यायाधीश श्री एम. जगन्नाथ राव, 2002-2003)

[6] जस्टिस वर्मा समिति का गठन आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया गया था ताकि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपी अपराधियों के लिए त्वरित सुनवाई और बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया जा सके। समिति ने 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति, जिसे भयावह निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया था, ने अपनी सिफारिशों में से एक के रूप में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने को शामिल किया था। हालाँकि, 2013 में संसदीय पैनल द्वारा संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था।

4.3 संसद[7]

यह मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है

2015 में संसद सत्र में सवाल उठाए जाने पर, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के विचार को इस विचार के साथ खारिज कर दिया गया था कि "वैवाहिक बलात्कार को देश में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विवाह को भारतीय समाज में एक संस्कार या पवित्र माना जाता था"।[8]

4.4 न्यायपालिका[9]

4.4.1 दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय 2015 से मामले में दलीलें सुन रहा है।

जनवरी 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने छूट को चुनौती देने वाले व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।[10]

मई 2022 तक, वे एक विवादास्पद विभाजित फैसले पर पहुँच चुके थे। एक न्यायाधीश वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष में था क्योंकि यह एक महिला की सहमति के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ था और कहता था कि विवाह में "आवश्यक रूप से" सहमति निहित होती है।[11]

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा, पति को वैवाहिक बलात्कार के अपराध से छूट देना असंवैधानिक है।

जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा, "पति को मिली छूट असंवैधानिक नहीं है और एक सममदार अंतर पर आधारित है।

4.4.2 कर्नाटक उच्च न्यायालय

[7] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है।

[8] 2015 में, जब वैवाहिक बलात्कार के बारे में संसद में सरकार से सवाल किया गया था, तो तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने जवाब दिया था।

[9] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की,215 उच्च न्यायालय की, गठन की बात करता है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करता है।

[10] रीट फाउंडेशन और ऑल इंडिया विमेंस एसोसिएशन के रीट

[11] 11 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पति पर लगाए गए रेप को आरोप को समाप्त करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपवाद को मानने से इनकार कर दिया।[12]

जस्टिस एम नागप्रसन्ना के कहा, "तथ्यों के आधार पर इस तरह के दुष्कर्म के लिए पति को छूट नहीं दी जा सकती है।

मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।

4.4.3 सुप्रीम कोर्ट:

वैवाहिक बलात्कार के मामले की वर्तमान समय में तीन जजों की बेंच सुन रही थी। उनमें से एक जज, सीजेआई भी थे, जो 10 अक्टूबर 2024 को रिटायर होते वाले है। सुप्रीम कोट के रूल के अनुसार जिसने जज ने किसी मामले को सुना है तो उसे रिटायर होने से पहले उन मामलों में फैसला देना जरूरी है। इसीलिए वैवाहिक बलात्कार के मामलों में सुनवाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है क्योंकि सीजेआई के रिटायर होने से पहले उसमें फैसला देना संभव नहीं था।

4.4.3.1 याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा ?

- हमारी याचिका बलात्कार से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 को वैधता को चैलेंज करती है, जहां पतिपत्नी - को श्रेणी में रखा गया है। "अपवाद" के बीच संबंध को
- ये का मसला है। यानि सहमति का। अगर महिला सहमत है "हाँ मतलब हाँ", तो वो सहमति जताए।
- मेरा बलात्कार मेरे पति द्वारा भी किया जा सकता है, किसी अजनबी द्वारा भी किया जा सकता है या किसी और के पति द्वारा भी किया जा सकता है।
- प्राइवेसी का उपयोग महिला के अधिकारों के हनन के लिए और लिंग आधारित हिंसा के लिए नहीं किया जा सकता है।
- मैं अगर लिवइन रिलेशन में हूँ-, और मेरे साथ बगैर सहमति के सेक्स होता है, तो वो रेप है। लेकिन अगर मैं शादीशुदा हूँ, और फिर भी मेरे साथ तमाम बर्बरताऐं होती हैं, तो वो रेप नहीं है?
- अगर ऐसी हरकतें मुझे आत्महत्या के लिए उकसाती हैं, तो IPC की धारा 498A यानी शादीशुदा महिला पर अत्याचार का चार्ज लग सकता है। लेकिन असहमति में भी पेनिट्रेशन होता है, तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा?
- हम यहाँ किसी अपराध की श्रेणी के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पहले से ही अपराध है। बस पति को इससे बाहर रखा गया है।
- अगर मेरा कहने का अधिकार छीन लिया जाएगा "नहीं", तो मेरा खुशी के साथ कहने के अधिकार का भी हनन "हाँ" होजाता है। मैं एक सेक्शुअल ऑब्जेक्ट के रूप में रिड्यूस की गई हूँ।

4.4.3.2 केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना मत रखा

[12] 23 मार्च 2023 कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश

अगर किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना बलात्कार के रूप में देखा जाता है तो इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं।

5. वैवाहिक बलात्कार पर अपवाद आईपीसी में कैसे आया?

5.1 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन:

आईपीसी को 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। नियमों के पहले संस्करण के तहत, वैवाहिक बलात्कार अपवाद 10 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू था जिसे 1940 में बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था।

5.2 1847 लॉर्ड मैकाले का मसौदा:

जनवरी 2022 में, एमिकस क्यूरी[13] द्वारा यह तर्क दिया गया कि आईपीसी औपनिवेशिक युग के भारत में स्थापित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले के 1847 के मसौदे पर आधारित है। मसौदे में अपवाद के रूप में वैवाहिक बलात्कार को बिना किसी आयु सीमा के अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। यह प्रावधान एक सदियों पुराना विचार है जो विवाहित महिलाओं की सहमति को दर्शाता है और पति के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करता है।

निहित सहमति का विचार 1736 में तत्कालीन ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू हेल द्वारा दिए गए हेल के सिद्धांत से आया है।[14] इसमें कहा गया है कि पति बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि "आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध के तहत पत्नी ने खुद को इस तरह से पति को सौंप दिया है"।

5.3 आवरण/कवर्चर का सिद्धांत:

कवर्चर के सिद्धांत के अनुसार, शादी के बाद एक महिला की कोई व्यक्तिगत कानूनी पहचान नहीं होती है। विशेष रूप से, कवरचर के सिद्धांत का उल्लेख सुनवाई के दौरान तब हुआ जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में खारिज कर दिया। यह माना गया कि धारा 497, जो व्यभिचार को अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है, कवरचर के सिद्धांत पर आधारित है।

यह सिद्धांत, हालांकि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यह मानता है कि एक महिला शादी के साथ अपनी पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है, यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

[13] अदालत के मित्र

[14] सर मैथ्यू हेल ने रोज़मेरी टोंग, वीमेन, सेक्स एंड द लॉ, 94 (1994) में उद्धृत किया।

6. दुनिया भर में वैवाहिक बलात्कार का इलाज कैसे किया जाता है?

6.1 संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने देशों से कानूनी खामियों को दूर करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि "घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है"।[15]

6.2 संयुक्त राज्य अमेरिका- 1993 से, अमेरिका के सभी 50 राज्यों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया गया, लेकिन कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

6.3 यूनाइटेड किंगडम-वैवाहिक बलात्कार को ब्रिटेन में भी अपराध घोषित कर दिया गया है और दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

6.4 दक्षिण अफ्रीका- दक्षिण अफ्रीका में 1993 से वैवाहिक बलात्कार अवैध है।

6.5 कनाडा- कनाडा में वैवाहिक बलात्कार दंडनीय है।

6.6 वे देश जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं बनाया है:

घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया ने किसी महिला या लड़की के पति द्वारा वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना है।

7. वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय न्यायालयों का विचार

7.1 साक्षी बनाम भारत संघ[16]

कोर्ट के सामने प्रश्न था कि "पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाना दंडनीय अपराध क्यों नहीं माना जाता?"

7.1.1 निर्णय

न्यायालय ने बलात्कार की मौजूदा परिभाषा को केवल जबरन लिंग/योनि प्रवेश के रूप में बरकरार रखा, आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के दायरे में प्रवेश के अन्य रूपों को शामिल करने से इनकार कर दिया।

7.2 निमेश भाई भरत भाई देसाई बनाम गुजरात राज्य[17]

[15] एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार, 185 में से 77 (42%) देश कानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानते हैं।
[16] रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 33, 1997, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1672-1673, 2000 के साथ; आईएलडीसी 868 (आईएन2004)।
[17] आर/सीआर.एमए/26957/2017 सीएवी निर्णय, गुजरात हाई कोर्ट 2018

जस्टिस जेबी पारदीवाला के अनुसार "एक पत्नी कोई संपत्ति नहीं है और एक पति जो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, वह केवल संपत्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, वह एक साथी इंसान के साथ अपने वैवाहिक कर्तव्य को उसके बराबर गरिमा के साथ पूरा कर रहा है। उसे इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7.3 सिद्दरुदा @ कर्ण बनाम कर्नाटक राज्य[18]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 के आधार पर यह करते हुए बरी कर दिया, जिसे अपनी नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक होने पर वैवाहिक बलात्कार को सजा से छूट देती है।

7.4 इंडिपेंडेंस थॉट बनाम भारत संघ[19]

"एक एनजीओ ने धारा 375 (अपवाद 2) को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की"

7.4.1 निर्णय

अपवाद 2 के तहत आयु कारक 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

8. निष्कर्ष

भारत में वैवाहिक बलात्कार को पूरी तरह से अपराध घोषित नहीं किया गया है। यह निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ एक वास्तविक प्रकार का गलत काम है और सरकार के विचार के योग्य है। पति-पत्नी विभिन्न हमलों के प्रति अधिक इच्छुक होते हैं और अक्सर लंबे समय तक शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से जूझते रहते हैं। इस विशिष्ट परिस्थिति में वैवाहिक बलात्कार काफी अधिक है। जिन महिलाओं के साथ उनके दरिंदों द्वारा बलात्कार किया जाता है, एक महिला के लिए क्योंकि वह अपने हमलावर के साथ सामान्य रूप से रहना चाहती है। चूंकि वैवाहिक बलात्कार के परिणाम वास्तव में ऊंचे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार के अपराध को अपराध घोषित करने की सख्त आवश्यकता है। भारत में आम तौर पर महिलाओं के लिए सकारात्मक कानूनी बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कानूनी और सामाजिक बदलाव के लिए भी कदम उठाए जाने जरूरी हैं, जिससे वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जा सकेगा और शादी में महिलाओं के बारे में नजरिया बदला जा सकेगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम में कई खामियां हैं, क्योंकि यह अधिनियम सीधे तौर पर वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ बात नहीं करता है। घर में अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ एक विशेष अधिनियम को मंजूरी देने का एक अच्छा पक्ष यह है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने वाले अधिनियम के लिए प्रवेश द्वार खुल

[18] मिसलेनियस आवेदन संख्या 2171/2020 सी.ए.1567/2017

[19] एआईआर 2017 सुप्रीम कोर्ट 4904

या है। यह स्पष्ट रूप से राज्य की मानसिकता में बदलाव को दर्शाता है जो पहले परिवार के दायरे में गैर-हस्तक्षेप पर स्टॉक रखता था।

संदर्भ सूची

- भारतीय संविधान,1950
- भारतीय दंड संहिता 1860
- भारतीय न्याय संहिता 2023
- सोलहवां विधि आयोग की सिफारिश
- जस्टिस वर्मा समिति का रिपोर्ट
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, (2015)
- एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों
- सर मैथ्यू हेल, वीमेन, सेक्स एंड द लॉ, 94 (1994)
- एन वोल्बर्ट बर्गेस और लिंडा लिटल होल्मस्ट्रॉम, रेप विक्टिम्स ऑफ क्राइसिस, 197 (1974)
- डायने हरमन, "द रेप कल्चरइन वीमेन ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ", तीसरा संस्करण, 20 (1984)
- मोहम्मद जीशान खान, "मैरिटल रेप एंड कंटेंट्स "एनालाइजिंग मटेरियल रेप इन इंडिया :, 14 मार्च 2018
- डॉ मनीष दलाल और डॉक्टर राजकुमार, द इंडियन एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, (शांडिल्य प्रकाशन, 2021)